प्रपत्र-230.3

परियोजना का नाम- खजूरखाल-हिसलानी-निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-दमदंड मोटर मार्ग के निर्माण में प्रमावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नाम:-तहसील गैरसैण जनपद-चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत. हारा दिनांक 12-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अधवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अधवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अधवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

ह0 ग्राम सचिव / 160 सदस्य सेत्र पंचीपत वार्ड सं0 29 कोळ \

TO ON THE WAR

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्नं किया जाना है।

दिनांक १५/०८/१२ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तिमुल्यानी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
-	प्या देवी	201121
1	2	9841441
2	कोश्राल्या देवी	कीशाल्या हैवा
3		नन्दा दुवार
4	जयनी देवी	जानकी ने ही
5	जीनकी विवा	ortain day
-	आशा वर्षा	371817 69/
+	3001 29	अवया देव
0	35,50	Sec Ser
9	कारान देवी	cupial, 59%
10	क्राक्सा देवी	र्यम्भा हैवा
1]	पावती देवी	्पावता ह्या
12	मोहन राभू	A154 8.5
13	कामला देवी	व्यम् ला
14	सेन् दुर्वी	र्मा ।
15	शारित देवी	शास्त्रि है वी
16	न्यन्ति देश	यन्त्रा देवा
1+		
18		

ह0 कि ०४ \\$ \17.... ग्राम प्रधान

दिनांक ा ०८ मि को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत शोशनानी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	रिजेन्द्र भ्रहाद	राजेन्द्र प्रसाद
2	दम् सिंह	GINERT &
3	द्वा दत् ,	इग्राइट्ट
3	विनीत रेसेंट्र	विनात प्रह
<u>S</u>	मावन सिंह	KIJG14) 1618
7	जीपाल सिंह	द्वापा द्वा
2	राकेश सिंह	THO WES
9	उसिन् यह	210000
10	क्लम सिंह	माना कर
11	वैस्तर । सह	कालम् स्वर
12		
13		
13		
16		
17		
18		

हैं। जिस्सान क्लिक हैं। जिस्सान क्लिक ग्राम प्रधान गिरसान क्लिक

दिनांक ला की ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतनिरालासी.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	5 2	50
1	शिवासिंह.	BHILDE
2	जोविन्द सिंह	5)11010011145
3	and the	lagard.
4	《红 叶	Raybbe
5	चल्प्र देवी	-do 412 at
6	112 Lion	4(70)
~7	पाववी देवी	मार्व स
8	बेरेका देवा	रेखा
9	राभ ।रहि	Ransinuh.
10	au Ci	(last then)
11	न्यत्वर् सिंह	Jul 1830mg
12	39 108	Caltye
13	Swill 1	Shape 0
14	स्टिल देवां	सुन्दरी दवी
15	किन्द्रा १४००	Dinash Sing
16	म्नवीट ब्रिट्	H-10/2 Bis
17	-वहुदन सिंह	यन्द्रन तुस्र ह
18	हतरा खेह,	हराश सुह
19	Blood He	3-गन-दोति ह
- 1		Chocusant

ग्राम प्रधानः ?4\\$.117...

दिनांक 🔰 💆 प्र 🖂 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नाम:- हिस्तानी (कल्थाणी)

क्र०सं०	श्री के नाम	हस्ताक्षर वाचन सि
. 1	न्यानीयह	वा पुना तर
2	श नरक्षिटें	· かんなん
		-



दिनांक ल्प िड़िम्म को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत निरालानी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	2 21	00
1	शिव सिंहे	BAILE
2	जोर्विन्द् । सेंह	37/19/07/148
5	क्रमल सिंह	10000
3	SHE	ICONV.
4	2/21	Halphy
5	्राज्य (प्रवा	-do 416 st
5	1125 Col	11/7
7	यावरी देवी	मार्व स
2	बैन्द्रवा देवी	Total
8	राभ रिह	Rangingh.
10	रूप र	3 as plant
11	न्यन्पन् सिष्ट	-40201 mil
12	देव छिट	Galthe
13	500 N	Muse 0
14	स्रित्व देवां	सुन्दरी देवा
10	TO 021 1290	Ding & Sing
16	मनबीट छिट,	H-10/2 P4= .
7	चत्पन सिंह	गन्द्रन त्यह
18	हटीरा खेह,	हरीश सिंह
19	8/010/12/12	3-11-CIUE
× 1		Choquant

ग्राम प्रधानः २४।ऽ । । ७

प्रियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में उद्युद्धान से टिसलानी -निगल्यकोर टिसलामानी - को श्रामानी - देखदूह १,935हैं। वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 6. ०० १८ ०० किमी।।

कार्यांलय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैंण

उपखण्ड गैएसैण पश्चित्र के जन्तर्गत उस्त्र्यद्वाल के हिसलानी निमलानी निमलानी जेलानानी उस्त्रिक के लिलाना है, 2.475 है। यन भूमि (अन्य है। अपक्षित वन भूमि, 2.625 है। से सीयल सीयम वन भूमि, 0.250... है। वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.97.5. है। वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-अन्द्रक्षेत्र ...) की दिमांक निर्माण को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय यन अधिकार समिति की बैठक भी विद्वारासिंह नेजी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षक्र में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 1- श्री क्रिकानासंह नेगी- उपजिलाधिकारी -2- 初 --उप प्रभागीय वनाधिकारी-सहायक समाज कल्याण अधिकारी ने सिन्स्य / सचिव सदस्य श्रीक पंचारात चार्र राज १४ महोदा ठडीवसीव क्षेत्र -िप्रदार परसंप (चमाला) **र ५० 24 चिहर**ि उपखण्ड सक्षिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिला्धिकारी की अनुमारक **गाउँपाई प**र्भर्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **रा**क्ट्र*ासल से हिसाला*डी किमलानी क्रिक्सपारी - जोगगानी - दमदह के किसा परियोजना हेतु 9.9.7.5 हैं0 वन गुनि लोक निर्माण विमाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, -द्वारा अनुसुचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तरसमध्यी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापरित जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठकु में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत द्वानुरक्षम ही किसाम ी नियानानी- नियत्तपानी जोगनानी दसदर वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित क्रिये जाने प्रर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिविषि : जिलाधिकारी, अतरो तमी प्रदेशी को सूचनार्थ एवं आवस्थक कार्यवाही हेतु।

उप जिल्हाचेका अध्यक्ष उपखण्ड स्तरिय क्र अधिकार समिति

FORM-II

(for projects other than linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

59

No--- --

Dated-199-12-15

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guide lines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.975 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for construction of Khajurkhal Niglani Timulpani Gognani To Damdarh Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Niglani, Timulpani, Gognani, Damdarh village in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.975 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of

forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Niglani, Timulpani, Gognani, Damdarh villages is enclosed.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there

was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

ि डायुश्चिमलास्त्री

(Full name and official seal of the District Collector)



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar I.A.S deputy commissioner, Chamoli on dated grand at time and the construction of Khajurkhal Niglani Timulpani Gognani To Damdarh Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Niglani, Timulpani, Gognani, Damdarh sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Gapetina

Dated: 27/10/15...

Deputy Committee District Level Committee



Government Of Uttarakhand Office Of the District Collector : Chamoli

M-	
No	 Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No - 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dewellers (Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that ———— Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Khajurkhal in Niglani-Timulpani-Gognani-Damdad Motor Road 6.00 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils.

It is further certified that:

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ————————————————————————————————————	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
a (B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

(S.A. Murugeson, District Magistrate Chamoli)



(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धास्ति प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1 (for linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No----

Dated 27-52-15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3st August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.975 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for construction of Khajurkhal Niglani Timulpani Gognani To Damdarh Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Niglani, Timulpani, Gognani, Damdarh villages in Gairsain tehsil. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.975 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Full name and official post of the District Collector)